न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।

C.N.R. No. : UPAU01006005-2025 ; दाण्डिक निगरानी संख्या : 117/2025

उपस्थिति : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code No. : UP 6484

-

1. श्रीमति सन्नो देवी उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी मोनू सिँह निवासी खरगपुर जलालपुर, थाना दिबियापुर जिला औरैया । ...निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार ।
2. जितेन्द्र सिँह पुत्र कुंवर सिँह ।
3. बीनू सिँह पुत्र कुंवर सिँह ।
4. पंकज सिँह पुत्र कुंवर सिँह ।

...निवासीगण ग्राम रामगढ़ हरचन्दपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया ।

5. नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी पुर्वा सकटू थाना दिबियापुर जिला औरैया ।

...रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा : 438, 440 BNSS

थाना : दिबियापुर । जिला : औरैया ।

<u>निर्णय</u>

निगरानीकर्ता श्रीमती सन्नो देवी द्वारा यह दाण्डिक निगरानी विपक्षी संख्या (1.) उत्तर प्रदेश सरकार (2.) जितेन्द्र सिँह (3.) बीनू सिँह (4.) पंकज सिँह व (5.) नितिन कुमार के विरुद्ध दायर की गयी है ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2024 'श्रीमति सन्नो देवी बनाम जितेन्द्र सिँह आदि' धारा 420, 467, 468, 504, 323 भारतीय दण्ड संहिता थाना दिबियापुर जिला औरैया, के अभियोग में पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14-10-2025 के विरुद्ध यह दाण्डिक निगरानी दायर की गयी है ।

निगरानीकर्ता द्वारा इस दाण्डिक निगरानी में निम्न आधार प्रस्तुत किए गये है कि विद्वान मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश व निर्णय दिनांक 14-10-2025 खिलाफ वाक्यात व कानून है । समुचित आदेश न करके अनुचित रूप से खिलाफ कानून आदेश कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है । प्रार्थिनी के द्वारा दिनांक

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.03.28 17:01:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

27–01–2020 को विपक्षीगण जितेंद्र सिँह, बीनू सिंह, पंकज सिँह पुत्रगण कुंवर सिँह निवासी ग्राम रामगढ़ हरचंदपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया से एक प्लॉट 3,50,000/– रुपए में खरीदा था तथा उक्त प्लॉट पर काबिज भी हो गई थी किन्तु जब प्रार्थिनी दो माह बाद नींव भराने गई तो पहले से मौजूद जितेंद्र सिँह, बीनू, पंकज सिँह तथा नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी पूर्वा सकटू थाना दिबियापुर जिला औरैया ने प्रार्थिनी को प्लॉट से भगा दिया व कहने लगे कि यह प्लॉट मैंने नितिन को बेच दिया है। इसके बाद प्रार्थिनी को पता चला कि उक्त जितेंद्र सिँह, बीनू व पंकज ने कागजो में हेरा–फेरी कर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर उक्त प्लॉट को प्रार्थिनी को बैनामा करने के बाद उसी प्लॉट को प्रार्थिनी को धोखा देकर नितिन कुमार को दिनांक 18–11–2022 को बैनामा कर दिया। उक्त विवाद की जानकारी अपने पिता कल्याण सिँह व भाई बन्टी को दी। जब हमारे पिता व भाई ने विपक्षीगण से बात की तो विपक्षीगण माँ–बहिन की गंदी–गंदी गालियां देकर मारपीट पर उतारू हो गये और नितिन ने कहा कि मुझे 4,00,000/–रुपए देकर प्लॉट बनवा सकती हो। उक्त घटना के बाद प्रार्थिनी ने दिनांक 08–06–2023 को अपराध संख्या 307/2023 धारा 420,467, 468,323,504 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा पंजीकृत कराया किन्तु थाना पुलिस ने गलत तरीके से एफ. आर. लगा दी। उपरोक्त एफ.आर. के खिलाफ प्रार्थिनी ने प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अंतिम आख्या संख्या 15/2024 अपराध संख्या 307/2023 धारा 420,406,467,468,504,323 भारतीय दंड संहिता दाखिल किया जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में आदेशित किया। प्रार्थिनी ने उक्त आदेश के अनुरूप अपना बयान अंतर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता व pw2 धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बन्टी पुत्र कल्याण सिँह निवासी खड़गपुर जलालपुर थाना दिबियापुर का बयान दर्ज कराया जिसने उक्त परिवाद को बखूबी साबित किया। इसके अलावा pw1 अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्षी कल्याण सिँह पुत्र उदय सिँह निवासी खड़गपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया का बयान नोट कराया जिसने उपरोक्त परिवाद बखूबी साबित किया गया। निचली अदालत ने उक्त गवाही को नकारते हुए उक्त परिवाद यह कह कर खारिज कर दिया कि परिवाद में दाखिल नक्शा की चौहद्दी व क्षेत्रफल में भिन्नता है जबकि प्रार्थिनी ने तहसील रिकॉर्ड व बैनामा के अनुसार नक्शा व चौहद्दी दाखिल की है जो कि बिल्कुल सही है एवं गवाही के अनुसार घटना पूरी तरह से साबित है। इसलिए उक्त आदेश दिनांकित 14–10–2025 खारिज किये जाने हेतु है। न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC का आदेश दिनांकित 14–10–2025 कानून तथा न्याय के विरुद्ध किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है तथा निगरानी स्वीकार करते हुए परिवाद पर तलबी आदेश करने के लिए अवर न्यायालय को आदेशित किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि यह दंड अपील स्वीकार फरमायी जाकर अवर न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांकित 14–10–2025 निरस्त करते हुए निगरानीकर्ता के परिवाद में तलबी आदेश किये जाने का आदेश फरमाया जाये व दीगर आदेश जो हक निगरानीकर्ता हो वह भी फरमाया जाये।

निगरानीकर्ता की ओर से इस निगरानी के साथ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2006 "सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिँह आदि" थाना दिबियापुर जिला औरैया के अभियोग में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14–10–2025 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गई है।

इसके अलावा निगरानीकर्ता की ओर से इस निगरानी की पत्रावली में फेहरिस्त दस्तावेज 6 ख से निम्न कागजात दाखिल किये गए :– (1.) कागज संख्या 7 ख निगरानीकर्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति (2.)

कागज संख्या 8 ख/1 लगायात 8 ख/21 विक्रय-पत्र/बैनामा दिनांकित 29-01-2020 की छायाप्रति (3.) प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 307/23, अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 504, 323 भारतीय दंड संहिता, "सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह, पंकज सिंह व नितिन कुमार" (4.) परिवाद संख्या 10322/2024 "सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिंह आदि" में दर्ज pw1 कल्याण सिंह पुत्र उदय सिंह के धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान की छाया प्रति (5.) परिवाद संख्या 10322/2022 "सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिंह आदि" में साक्षी pw2 बंटी पुत्र कल्याण सिंह के बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता की छाया प्रति ।

विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4 व 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस निगरानी का विरोध करते हुए यह मौखिक आपत्ति की गई की न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2024 "सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिँह आदि" में दिनांक 14-10-2025 को स्पष्ट एवं विस्तृत आदेश पारित करते हुए परिवादिनी श्रीमती सन्नो देवी का उक्त परिवाद साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिया गया जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि विद्यमान नही है । उक्त विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादिनी के प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र, परिवाद-पत्र में उल्लखित कथनो और परिवादिनी के तथा साक्षीगण के न्यायालय में दर्ज बयानो का, विवेचन एवं विश्लेषण किया गया जिनके आधार पर यह पाया गया कि विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नही है जिसमे कोई विधिक त्रुटि विद्यमान नही है और इस कारण यह निगरानी पोषणीय नही है , निरस्त करने की कृपा करे ।

विपक्षी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा भी विपक्षी संख्या 2, 3, 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक आपत्ति को दोहराते हुए इस निगरानी को निरस्त करने की प्रार्थना की गई ।

न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस विस्तार से सुनी गयी तथा इस निगरानी की पत्रावली एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली परिवाद संख्या 267/2024 "सन्नो देवी बनाम में जितेंद्र सिँह आदि" का अवलोकन किया ।

प्रार्थिनी/परिवादिनी श्रीमती सन्नो देवी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता सिविल जज सीनियर डिवीजन/FTC औरैया न्यायालय में विपक्षीगण संख्या (1.) जितेंद्र सिँह (2.) बीनू सिँह (3.) पंकज सिँह पुत्रगण कुंवर सिँह तथा (4.) नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार के विरुद्ध दिनांक 03-05-2023 को प्रस्तुत किया गया जिसमे यह कथन उल्लखित किया गया कि "...प्रार्थिनी ने विपक्षी जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह, पंकज सिँह से ग्राम हरचंदपुर परगना व तहसील बिधूना जिला औरैया में एक प्लॉट 3, 50, 000/- रुपए में खरीदा था जिसका बैनामा उपरोक्त जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह, पंकज सिँह ने प्रार्थिनी को दिनांक 29-01-2020 में कर दिया था तथा उक्त प्लॉट पर प्रार्थिनी काबिज हो गई थी । लगभग दो माह पहले प्रार्थिनी अपने प्लॉट की नींव भरवाने के लिए प्लॉट पर गई तो वहां पहले से मौजूद जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह व पंकज सिँह व नितिन कुमार ने प्रार्थिनी को प्लॉट से भगा दिया और कहने लगे कि '...उक्त प्लॉट तेरा नही है । मैंने इस प्लॉट का बैनामा नितिन कुमार को कर दिया है ।', जब प्रार्थिनी ने मालूम किया तो पता चला कि उक्त जितेंद्र सिँह,

बीनू सिँह व पंकज सिँह ने कागजो में हेरा–फेरी कर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थिनी को प्लॉट का बैनामा करने के बाद उसी प्लॉट का बैनामा नितिन कुमार को दिनांक 18–11–2022 में कर दिया है । दिनांक 23–04–2023 को जब उक्त बात की शिकायत प्रार्थिनी ने अपने पिता कल्याण सिँह व भाई बन्टी के साथ जाकर जितेंद्र सिँह व बीनू सिँह से की तो जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह व नितिन कुमार प्रार्थिनी को माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा भाई बन्टी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए और नितिन कहने लगा की 4,00,000/– रुपये मुझे दो तो अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करवा सकती हो । उपरोक्त विपक्षीगण ने आपस में षड़यन्त्र कर प्रार्थिनी को बेचे गए प्लॉट पर पुनः बैनामा अपने को लाभ प्राप्त करने की नीयत से कर दिया है । प्रार्थिनी घटना के रिपोर्ट करने थाना दिबियापुर गई लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई तब प्रार्थिनी ने दिनांक 24–04–2023 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया व अन्य उच्च अधिकारियो को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये जिन पर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई । मजबूरन प्रार्थिनी यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है । अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष दिबियापुर को आदेशित करने की कृपा करे...।"

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी के इस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के आलोक में थाना दिबियापुर से आख्या तलब की गई । थाना दिबियापुर से प्राप्त आख्यानुसार इस घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नही पाया गया । तत्पश्चात प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा इस प्रकीर्ण वाद संख्या 01 सन् 2023 "श्रीमती सन्नो देवी बनाम जितेंद्र सिँह एवं अन्य", के अभियोग में दिनांक 16–05–2023 को स्पष्ट एवं विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि "...उपरोक्त मामले में प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर को आदेशित किया जाता है कि वह मामले में प्रारंभिक जांच कर 7 दिवस के अंदर इस आशय की आख्या प्रस्तुत करे कि प्रश्नगत् दोनो विक्रय–पत्रो में वर्णित भूमि एक ही है या नही ? इस संदर्भ में वह चाहे तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल व तहसीलदार की मदद ले सकते है । आदेश की एक प्रति प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर को प्रेषित की जाये । पत्रावली दिनांक 20–05–2023 को आख्या हेतु पेश हो...।" तत्पश्चात उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2023 को यह आदेश पारित किया गया कि "...न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–05–2023 के माध्यम से राकेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर द्वारा प्रारंभिक जांच की गई जो जांच आख्या पत्रावली में संलग्न है । उक्त आख्या के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा एक ही भूमि को पहले वादिनी को उसके उपरांत दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया गया है...।" इस जांच आख्या के आधार पर उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2023 को प्रार्थिनी श्रीमती सन्नो देवी का उक्त प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया गया और प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश पारित किया गया ।

उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के इस आदेश की अनुपालन में थाना दिबियापुर पर दिनांक 08–06–2023 को मुकदमा अपराध संख्या 307/2023 अंतर्गत धारा 420,406,467,468,504,323 अभियुक्तगण (1.) जितेंद्र सिँह, (2.) बीनू सिँह, (3.) पंकज सिँह पुत्रगण कुंवर सिँह व (4.) नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार दर्ज किया गया । विवेचना अधिकारी द्वारा इस अभियोग की विवेचना आरंभ की गई और दिनांक 09–12–2023

को विवेचना समाप्त की गई । विवेचना अधिकारी द्वारा केस–डायरी के अंत में विवेचना समाप्त करते हुए यह उल्लखित किया गया कि "...मुझ उपनिरीक्षक की विवेचना तमामी बयान वादिनी, निरीक्षण घटनास्थल एवं विवेचना के मध्य प्राप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य वादिनी मुकदमा, उपरोक्त के संबंध में पूर्व से ही एक मुकदमा न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बिधूना के यहां विचारधीन होने के कारण इस अभियोग को वादिनी द्वारा पूर्व के प्रकरण को लेकर ही यह अभियोग बढ़ा–चढ़ा कर पंजीकृत कराये जाने एवं एक ही प्रकरण में दो न्यायालय में चलना न्यायोचित नही है । अतः इस अभियोग की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 184/23 दिनांक 09–12–2023 समाप्त की जाती है । श्रीमान् जी से अनुरोध है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करे...।"

प्रार्थिनी श्रीमती सन्नो देवी द्वारा विवेचना अधिकारी की इस अंतिम आख्या के विरुद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया न्यायालय में दिनांक 30–04–2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमे यह कथन उल्लखित किया गया कि "...विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या घटना की वास्तविकता से कतई परे है । असत्य कथनो के आधार पर दी गई अंतिम आख्या निरस्त होने योग्य है । विवेचनाधिकारी ने उक्त मामले में अभियुक्तगण के साथ मेल व साजिश करते हुए गलत आख्या प्रस्तुत की है । प्रार्थिना द्वारा दिनांक 27–01–2020 को विपक्षीगण जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह, पंकज सिँह पुत्रगण कुंवर सिँह निवासीगण रामगढ़ हरचंदपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया से एक प्लांट 3,50,000/– हजार रुपए में खरीदा था तथा उक्त प्लॉट पर काबिज भी हो गई थी किन्तु जब प्रार्थिनी दो माह बाद उक्त प्लॉट पर नींव भराने गई तो वहां पर पहले से मौजूद जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह व पंकज सिँह तथा नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी पुर्वा सकटू थाना दिबियापुर जनपद औरैया ने प्रार्थिनी को प्लॉट से भगा दिया और कहने लगे अब यह प्लॉट मैंने नितिन को बेच दिया है । इसके बाद प्रार्थिनी को पता चला कि उक्त जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह व पंकज ने कागजो में हेरा–फेरी कर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर उक्त प्लॉट को प्रार्थिनी को बैनामा करने के बाद इस प्लॉट को प्रार्थिनी को धोखा देकर नितिन कुमार को दिनांक 18–11–2022 को बैनामा कर दिया । उक्त विवाद की जानकारी अपने पिता कल्याण सिँह व भाई बन्टी को दिनांक 23–04–2023 को दी । जब हमारे पिता व भाई ने विपक्षीगण से बात की तो विपक्षीगण माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देकर मारपीट पर उतारू हो गए और नितिन ने कहा मुझे 4,00,000/– रूपए देकर प्लॉट बनवा सकती हो । मुकदमे में विवेचनाधिकारी ने विवेचना के दौरान पाया कि विपक्षीगण जितेंद्र सिँह, बीनू सिँह व पंकज सिँह ने प्रार्थिनी के हक में पहले प्लॉट का बैनामा किया । उसके बाद इन्ही विपक्षीगण द्वारा पुनः नितिन कुमार के नाम बैनामा गलत तरीके से किया गया फिर भी उपरोक्त मुकदमे में एफ.आर. लगा दी है जो कि बिल्कुल गलत है । विवेचनाधिकारी ने इसी मुकदमे को दो जगह चलना बताया है जबकि पत्रावली एफ.आर. में दाखिल दिखाया गया मुकदमा सिविल वाद है जो कि बैनामा को शून्य कराने हेतु किया गया है जिसका इस मुकदमे से (फौजदारी) से कोई मतलब नही है । इससे स्पष्ट है कि विवेचनाधिकारी ने गलत आधार बनाकर एफ.आर. प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त मुकदमे में विवेचनाधिकारी के द्वारा हमारे किसी भी गवाह से साक्ष्य नही लिया है बल्कि विपक्षीगण से मेली साजिश करके प्रार्थिनी को आर्थिक व मानसिक हानि पहुंचाने की गरज से आधारहीन एफ.आर. प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त एफ.आर. नंबर 15/2024 निरस्त फरमायी जावे तथा विपक्षीगण को अपराध संख्या 307/2023 अंतर्गत धारा 420,406,467,468,504,323

भारतीय दंड संहिता के तहत तलब कर दंडित करने की कृपा करे । श्रीमान् जी की महान दया होगी...।"

इस निगरानी न्यायालय द्वारा दौरान बहस सुनवायी यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा दूसरे बैनामा की छायाप्रति भी शामिल की गई है । यह बैनामा जितेंद्र सिंह द्वारा नितिन कुमार के पक्ष में दिनांक 13–09–2022 को किया गया है जो इसी भूमि का है जिस भूमि का बैनामा जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह व पंकज सिंह ने दिनांक 29–01–2020 को सन्नो देवी को किया था ।

इसी बैनामा के निष्पादन आधार पर इस भूमि के खाता संख्या 0293 के समक्ष विक्रेता नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार का नाम भी खातेदार के रूप में फसली वर्ष 1427–1432 (1 जुलाई 2019 से 30 जून 2025 तक) खातेदार के रूप मे नाम दर्ज हो चुका है । इस खतौनी की छायाप्रति भी विवेचनाधिकारी ने केस–डायरी में शामिल करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल की है ।

इसके अलावा मूलवाद संख्या 974 सन् 2022 "जितेंद्र सिंह बनाम (1.) श्रीमती सन्नो देवी पत्नी मोनू सिंह (2.) मोनू पुत्र कृष्ण गोपाल (3.) धर्मेंद्र सिंह पुत्र कुंवर सिँह (4.) पंकज सिंह पुत्र कुंवर सिंह (5.) बीनू सिंह पुत्र कुंवर सिँह व (6.) सीता देवी पत्नी स्वर्गीय कुंवर सिंह" के वाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि भी दाखिल की गई है जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बिधूना औरैया में दायर किया गया ।

अब परिवादिनी के मौखिक साक्ष्य का विवेचन (discussion) व विश्लेषण (Analysis) करना आवश्यक होगा ।

परिवादिनी श्रीमती सन्नो देवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दंड दंड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया कि "... मैंने जितेंद्र, बीनू व पंकज से दिनांक 27–01–2020 को प्लॉट 3,50,000/–रुपये में खरीदा था । जितेंद्र ने यह प्लॉट दिनांक 18–11–2022 को नितिन को बेच दिया । मुझे यह बात दिनांक 23–04–2022 को पता चली । मैं, मेरा भाई बंटी व पिता कल्याण सिंह प्लॉट बनवाने पहुंचे । प्लॉट के बगल में जितेंद्र पंकज व बीनू का घर है । नितिन ने हमसे पैसे मांगे । 4,00,000/–रूपये की मांग की । नितिन कह रहा था कि चार लाख दे दो तो मकान बनवा लो । मैंने मना किया तो यह तीनो व नितिन गाली–गलौच करने लगे । हमने जबरन बनवाना शुरू कर दिया तो जितेंद्र ने पुलिस बुला ली । मेरे भाई बंटी का धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता में चालान कर दिया । हमने जमानत करायी । जितेंद्र ने बिधूना में एक सिविल मुकदमा डाल दिया । जब हम दोबारा प्लॉट बनवाने पहुंचे तो पुलिस ने रोक दिया । थाने गये कोई सुनवाई नही हुई । एसपी को लिखा । मिलने गये । कुछ नही हुआ ।..."

साक्षी pw1 कल्याण सिंह पुत्र उदय सिंह ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया कि "...वादिनी ने दिनांक 27–01–2020 को विपक्षीगण जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह, पंकज सिंह पुत्रगण कुंवर सिंह जो मेरे सगे भाई है, निवासी रामगढ़ हरचंदपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया । मेरी बेटी ने इन लोगो से एक प्लॉट लिया था जो करीब साढ़े तीन लाख रुपए का खरीदा था जो कि मेरी सगे भतीजे है । रकबा नंबर न दर्शाकर मेरी बेटी के साथ फ्रॉड किया है । दिनांक 18–11–2022 को उक्त विपक्षीगणो ने यही प्लॉट रकबा नंबर सही दिखा कर नितिन कुमार को बैनामा कर दिया । जब हमे जानकारी हुई तो मैं व मेरा बेटा बंटी दिनांक 23–04–2023 को पिता मेरे घर आये और विपक्षीगणो ने माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दी व मारपीट पर उतारू हो गए । नितिन ने कहा कि मुझे 4,00,000/–रूपये दो अपना प्लॉट बनवा सकती हो । फिर मैं थाने गया । वहां पर कोई FIR नही लिखी गई । फिर उच्च अधिकारियो को प्रार्थना–पत्र दिया । कोई

कार्यवाही नही हुई । फिर 156(3) से मुकदमा डाला तब मेरा मुकदमा लिखा गया । अपराध संख्या 304 /2023 एफ.आर. नंबर 1524 थाना दिबियापुर धारा 420, 406, 467, 468, 504, 323 भारतीय दण्ड संहित में मुकदमा दर्ज हुआ । उक्त विपक्षीगाणो से मेल–मिलाप करके एक मोटी रकम लेकर एफ.आर. लगा दिया । यही मेरा बयान है ।..."

साक्षी pw2 बंटी पुत्र कल्याण सिंह ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया कि "...मेरी बहन सन्नो देवी ने दिनांक 27–01–2020 को मेरे चचेरे भाइयो से प्लॉट लिया था । जितेन्द्र सिंह, बीनू सिंह, पंकज सिंह पुत्रगण कुंवर सिंह से प्लॉट लिया था । सर्व निवासीगण रामगढ़ हरचंदपुर थाना दिबियापुर जिला औरैया से लिया था । दिनांक 18–11–2022 को इन्ही लोगो ने नितिन कुमार को बैनामा कर दिया था, फर्जी तरीके से । जब मेरी बहन को सूचना मिली। दिनांक 23–04–2023 को हम और पिताजी बहन के घर आए तो देखा कि मेरी दीदी से जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह व पंकज सिंह माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दे रहे थे और बोले कि हमने जो तुम्हे बैनामा किया था, उसमे रकबा न दर्शाकर फर्जी तरीके से बैनामा किया था । अब मैंने नितिन कुमार को 4,00,000/–रूपये में बैनामा कर दिया है । उन्ही लोगो ने चौकी से पुलिस बुलायी । पुलिस वालो ने हमारी दीदी व पापा व हमे गलत तरीके से डांटा और मुझे 151 में बंद कर इटावा जेल भेज दिया था । फिर मेरी बहन पापा के साथ थाने गई । वहां भी कोई सुनवाई नही हुई । एसपी व उच्च अधिकारियो को प्रार्थना–पत्र दिया तब भी कोई कार्यवाही नही हुई । फिर न्यायालय के समक्ष मेरी दीदी आयी ।..."

इस तरह से उपरोक्त मौखिक व अभिलेखिय साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से निम्न तथ्य प्रकट होते है कि दिनांक 23–04–2022 को जब परिवादिनी और परिवादिनी के पिता कल्याण सिंह व भाई बंटी ने विपक्षी–गण जितेंद्र, बीनू, पंकज व नितिन से इस कथित छल कपट के विषय में बातचीत की और अपने प्लॉट पर नींव भराने के लिए कहा तो इन विपक्षीगण ने परिवादिनी पक्ष के लोगो के साथ झगड़ा किया और उन्हे गाली–गलौच कर अपमानित किया जिस पर विपक्षीगण ने चौकी पुलिस को बुलाया और पुलिस ने परिवादिनी पक्ष के लोगो का धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शांति–भंग में चालान कर दिया ।

इसके अलावा पत्रावली पर दो विक्रय–पत्रो प्रतियां दाखिल की गई है । पहला बैनामा दिनांक 27–01–2020 का है जो विपक्षीगण जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह व पंकज सिंह पुत्रगण कुंवर सिंह ने परिवादिनी सन्नो देवी के हक में 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिफल लेकर निष्पादित किया जाना लिखा गया है और दूसरा बैनामा दिनांक 18–11–2022 का है जो विपक्षीगण जितेंद्र सिंह, बीनू सिंह व पंकज सिंह पुत्रगण कुंवर सिंह ने नितिन कुमार पुत्र राकेश कुमार के हक में निष्पादित किया जाना लिखा गया है ।

परिवादिनी द्वारा अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस कथित छल कपट के विषयक मुकदमा दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा थाना दिबियापुर से आख्या तलब की गई और थानाध्यक्ष दिबियापुर को निर्देशित किया गया था कि इस मामले में प्रारंभिक जांच करके 7 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि दोनो विक्रय–पत्रो में वर्णित भूमि एक ही है या नही ? उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष दिबियापुर को यह भी निर्देशित किया गया कि इस संदर्भ में थाना पुलिस संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और तहसीलदार की मदद ले सकते है । तत्पश्चात इसी अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना दिबियापुर श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा इस मामले की

प्रारंभिक जांच की गई और जांच आख्या उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध करायी गई जिसका अवलोकन करने के पश्चात अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विपक्षी द्वारा एक ही भूमि को पहले वादिनी को जरिये बैनामा बेचा गया और उसके बाद दोबारा इसी भूमि को अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया । प्रथम दृष्टया अपराध कारित होने के का प्रतीत होने पर उक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी/परिवादिनी श्रीमती सन्नो देवी का उक्त प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 30–05–2023 को स्वीकार भी किया गया और विपक्षीगण उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया ।

विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया न्यायालय द्वारा दिनांक 14–10–2025 को जो प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है उस आदेश के अंत में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि "...आवेदिका द्वारा स्वयं क्रय किए गए प्लॉट की रजिस्ट्री व आवेदिका ने जितेंद्र द्वारा नितिन को विक्रय किए गए प्लॉट की रजिस्ट्री दाखिल की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दोनो प्लॉटो की चौहद्दी व क्षेत्रफल में भिन्नता है जिससे आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर लगाए गए आरोपो की पुष्टि नही होती है ।" इस आधार पर परिवादिनी श्रीमती सन्नो देवी का यह परिवाद उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । इस निगरानी न्यायालय के अभिमत में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया का उपरोक्त अभिमत एक विधि सम्मत् पूर्ण एवं स्पष्ट अभिमत नही है बल्कि यह तथ्य एक साक्ष्य का विषय है जो दोनो पक्षो के संपूर्ण साक्ष्य से अभिनिर्धारित किया जा सकता है । वैसे भी प्रस्तुत मामला आपराधिक प्रकृति का है जिसमे आपराधिक कृत्य पर विचार किया जाना है । इसके अलावा परिवादिनी श्रीमति सन्नो देवी व परिवादिनी के साक्षीगण कल्याण सिंह और बंटी के धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानो का गहनता से विवेचन एवं विश्लेषण इस प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14–10–2025 में नही किया गया है और न ही इन तीनो साक्षीगण के ब्यानो मे किसी प्रकार के कोई विरोधाभाष का होना उल्लिखित किया गया है जबकि परिवादिनी व परिवादिनी के इन साक्षीगण के ब्यानो का साक्ष्यिक महत्व है । है । विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवादिनी व परिवादिनी के साक्षीगण कल्याण सिंह और बंटी के धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानो का विस्तार से विवेचन (discussion) एवं विश्लेषण (Analysis) इस प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14–10–2025 में नही किया गया है जो कि एक अलग घटना है जिसमे विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी पक्ष के लोगो के साथ झगड़ा करना व गाली–गलौच कर अपमानित करना बताया गया है और जिसका समर्थन परिवादिनी के धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानो तथा परिवादिनी के साक्षीगण pw1 कल्याण सिंह व pw2 बंटी के धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानो से प्रथम दृष्टया होना परिलक्षित होता है ।

जहां तक प्रश्न इस तथ्य का है कि दोनो पक्षो के मध्य इस विवादित संपत्ति को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो इस तथ्य से कथित आपराधिक घटना के घटित होने पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है । यहां इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यदि किसी संपत्ति को लेकर दो पक्षो के बीच विवाद चल रहा होता है और न्यायालय में उससे संबंधित वाद भी विचाराधीन हो तो उसी क्रम मे दोनो पक्षो के बीच को आपराधिक विवाद हो जाये जिसके फलस्वरूप कोई मारपीट हो जाये या गाली–गलौच हो जाये जो कि एक अलग घटना हो, तो ऐसी दशा मे उक्त आपराधिक घटना के सम्बन्ध मे कोई आपराधिक कार्यवाही करने मे कोई विधिक बाधा या रुकावट नही होती है । इस संबंध में निम्न विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना

आवश्यक होगा :–

[1.] **AIR 2008 Supreme Court 1884 (From Andhra Pradesh) A.S.M.P. No.1067 of 2006 in A.S. No.271 of 2006, D/–17–07–2006 (AP), Civil Appeal Nos. 1734 and 1735 of 2008 (arising out of SLP (C) Nos.15670 and 16215 of 2006), D/– 04–03–2008, P. Swaroopa Rani Vs. Hari Narayan @ Hari Babu**– Civil P.C. (5 of 1908), S.96– Appeal– Stay to criminal proceedings– Criminal proceedings for forgery initiated on basis of observations made in civil suit– Appeal against civil Court's decree– Appellate Court can certainly go into correctness of observations made– But filing of an independent criminal proceeding is not barred under any statute– Stay granted to criminal proceedings– Improper. ...It is, however, well–settled that in a given case, civil proceedings and criminal proceedings can proceed simultaneously. Whether civil proceedings or criminal proceedings shall be stayed depends upon the fact and circumstances of each case. [see M.S. Sheriff Vs. State of Madras, AIR 1954 SC 397, Iqbal Singh Marwah Vs. Meenakshi Marwah (2005) 4 SCC 370 and Institute of Chartered Accountants of India Vs. Assn. Of Chartered Certified Accountants (2005) 12 SCC 226].

[2.] **The Madhya Pradesh High Court in the case of Balram Nigam Vs. The State of Madhya Pradesh (MCRC–12929–2020)** upheld that criminal and civil proceedings are separate and independent and the pendecny of a civil proceeding can not bring to an end a criminal proceeding even if they arise out of the same set of facts.

अतः उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस निगरानी न्यायालय का यह अभिमत है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2024 'श्रीमति सन्नो देवी बनाम जितेन्द्र सिँह आदि' धारा 420,467,468,504,323 भारतीय दण्ड संहिता थाना दिबियापुर जिला औरैया, के अभियोग में पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14–10–2025, एक संक्षिप्त आदेश है जिसमे संपूर्ण तथ्यो व संपूर्ण साक्ष्य का विस्तार से विवेचन व विश्लेषण नही किया गया है और मात्र एक छोटा अभिमत व्यक्त करते हुए कि दोनो बैनामो की चौहद्दी व क्षेत्रफल में भिन्नता है, परिवादिनी के उक्त परिवाद को खारिज कर दिया गया जो कि एक विधि सम्मत् पूर्ण व स्पष्ट आदेश नही है जिस कारण इस प्रश्नगत् आदेश में विधिक त्रुटि विद्यमान है । तलबी के स्तर पर सम्पूर्ण मौखिक व अभिलेखिय साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण करने के उपरान्त यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है अथवा नही ? इस संबंध में एक मुख्य विधि–व्यवस्था का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा जो कि निम्न है :– **"सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता 2015(1) ए.सी.आर. 1049 सुप्रीम कोर्ट"**, का उल्लेख करते हुए यह भी अवधारित किया गया कि इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "At the stage of cognizance and summoning the magistrate is required to apply his judicial mind only with a view to take cognizance of the offence. He is not required to consider the defence version or materials nor he is required to evaluate

merits of the materials or evidence of the complainant." अर्थात् ऐसे मामलों में संज्ञान लिए जाने के स्तर पर न्यायालय को मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखना होता है व प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्ष्य को इस स्तर पर संज्ञान में नही लिया जा सकता है न ही न्यायालय द्वारा इस स्तर पर महीनता अथवा गहनता से तथ्यो की जांच की जाती है व यह भी अभिनिर्धारित किया जाना उचित नहीं है कि उक्त मामले में विपक्षीगण अंत में दोष सिद्ध होंगे अथवा नही ? "

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन से इस निगरानी न्यायालय का यह है मत है कि विद्वान अधीनस्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2024 'श्रीमति सन्नो देवी बनाम जितेन्द्र सिँह आदि' धारा 420, 467, 468, 504, 323 भारतीय दण्ड संहिता थाना दिबियापुर जिला औरैया, के अभियोग में पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14–10–2025 एक स्पष्ट, पूर्ण एवं विधि सम्मत् आदेश नही है, जो कि अपास्त किया जाने योग्य है, फलस्वरुप निगरानीकर्ता श्रीमति सन्नो देवी की यह दांडिक निगरानी स्वीकार की जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता श्रीमति सन्नो देवी की यह दांडिक निगरानी स्वीकार की जाती है ।
विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC औरैया द्वारा परिवाद संख्या 267/2024 'श्रीमति सन्नो देवी बनाम जितेन्द्र सिँह आदि' धारा 420, 467, 468, 504, 323 भारतीय दण्ड संहिता थाना दिबियापुर जिला औरैया, के अभियोग में पारित प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 14–10–2025, अपास्त किया जाता है ।

विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/FTC/संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश में पारित दिशा– निर्देशो एवं विधि व्यवस्थाओ के आलोक में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की पुनः तलबी बहस सुनकर न्यायोचित आदेश पारित करना सुनिश्चित करें ।

निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19–04–2026 को संबंधित अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष वास्ते सुनवायी उपस्थित रहे ।

इस निगरानी की कार्यवाही समाप्त की जाती है । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल– अभिलेखागार की जाए ।

दिनाँक : 28–03–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर सुनाया गया ।

दिनाँक : 28–03–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}